भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2871
दिनांक 10 मार्च, 2026 / 19 फाल्गुन, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

मोंथा चक्रवात

†2871. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आए मोंथा चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश राज्य को हुई क्षति का आकलन किया है;

(ख) क्या सरकार ने कृषि, सड़कों और भवनों, जल क्षेत्र, बिजली, सिंचाई आदि को हुई क्षति का आकलन करने के लिए अपनी केंद्रीय टीम भेजी थी;

(ग) यदि हां, तो क्या केंद्रीय टीम ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी; और

(घ) यदि हां, तो टीम द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और सरकार द्वारा उन सिफारिशों पर अब तक की गई कार्रवाई क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (घ): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, उनके पास पहले से मौजूद राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित रसद और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल होता है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2871 दिनांक 10.03.2026

आंध्र प्रदेश में वर्ष 2025 में आए चक्रवाती तूफान 'मोंथा' के मद्देनजर, केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना ही नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए एक आईएमसीटी का गठन किया। आईएमसीटी ने दिनांक 10 से 11 नवंबर, 2025 तक राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। टीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई की जाती है।

****